

**CHAPTER - II**  
**ADMINISTRATION**

**Section 3 : Officers under this Act**

The Administrator may, by notification, appoint Commissioners and such other class of officers as may be required for carrying out the purposes of this Act and such officers shall be deemed to be proper officers for such purposes as may be specified therein:

**Provided that** the officers appointed under the existing law shall be deemed to be the officers appointed under the provisions of this Act.

---

## अध्याय 2 प्रशासन

### धारा 3 : इस अधिनियम के अधीन अधिकारी

प्रशासक, अधिसूचना द्वारा, आयुक्तों और उतने अन्य वर्ग के अधिकारियों को नियुक्त कर सकेगा जितने इस अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए अपेक्षित हों और ऐसे अधिकारियों को ऐसे प्रयोजनों के लिए, जो उसमें विनिर्दिष्ट किए जाएं, उचित अधिकारी समझा जाएगा :

**परन्तु** विद्यमान विधि के अधीन नियुक्त अधिकारियों को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन नियुक्त अधिकारी समझा जाएगा।

---